# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पालमपुर के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2014

## भाग–एक

**1 प्रारम्भिकः–**

**(क)** हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN (TE) A(4) 1/2009, दिनाँक 12.1.10 के अन्तर्गत इस संस्थान को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थान पर Co-educational संस्थान के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया।

### (ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | विवरण | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना | 1.72 |
| 2 | 9 | भवन निधि से भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना | 5.11 |
| 3 | 10 | छात्र कल्याण निधि से "Installation of LP Gas Plant in Mess of girls Hostel Building" के कार्य हेतु भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं | 0.40 |
| 4 | 11 | छात्र कल्याण निधि से अनियमित व्यय करना | 0.30 |
| 5 | 12 | विद्यार्थियों द्वारा "Tech. Festival" सुन्दरनगर में भाग लेने हेतु अनियमित व्यय करना | 0.11 |

### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु संस्थान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे के लिये उचित कार्रवाई की जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार हैः–

**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–6 (1) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–6 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–6 (3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–6 (5) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–6 (6) | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007**

| | | |
|---|---|---|
| पैरा–3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क भेजा जा चुका है) |
| पैरा–4 | निर्णीत | (पैरा अपडेटिड) |
| पैरा–5 (1) | अनिर्णीत | |
| पैरा–5 (2) | अनिर्णीत | |
| पैरा–5 (3) | अनिर्णीत | |
| पैरा–6 (1) | अनिर्णीत | |
| पैरा–6 (2) | अनिर्णीत | |
| पैरा–6 (3) | अनिर्णीत | |
| पैरा–7 (क) | अनिर्णीत | |
| पैरा–7 (ख) | अनिर्णीत | |
| पैरा–7 (ग) | अनिर्णीत | |
| पैरा–7 (घ) | अनिर्णीत | |
| पैरा–7 (ङ) | अनिर्णीत | |
| पैरा–8 | अनिर्णीत | |

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षणः–**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पालमपुर जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/07 से 3/14 के लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदो में दिये गये है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनाँक 05.08.2014 से 16.08.2014 के दौरान पालमपुर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/07, 7/08, 8/09, 8/10, 7/11, 8/12 व 2/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/07, 2/09, 8/09, 11/10, 10/11, 9/12 व 8/13 का चयन किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने संस्थान में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–**

| क्र0सं0 | प्रधानाचार्य का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री एस0के0 लखनपाल | 4/07 से 01.03.10 |
| 2 | श्री एस0के0 गुप्ता | 02.03.10 से 10.02.11 |
| 3 | श्री पी0एल0 शर्मा | 11.02.11 से 30.6.12 |
| 4 | श्री एम0के0 लखनपाल | 02.07.12 से 01.03.13 |
| 5 | श्री एम0आर0 शर्मा | 02.03.13 से लगातार |

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेन से इन्कार करता है।

**3 अंकेक्षण शुल्कः–**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पालमपुर के अवधि 4/07 से 3/12 के वर्तमान लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7700/– आँका गया है। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने के लिए संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 219 दिनाँक 16.8.14 द्वारा अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 549798 दिनाँक 26.8.14 द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

**4 वित्तीय स्थितिः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पालमपुर द्वारा प्रस्तुत संस्थान के अवधि 4/07 से 3/14 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** के पृष्ठ संख्या 1 से 5 पर वर्णित है।

**5 अन्य राशियों को भी छात्र कल्याण निधि में जमा करनाः–**

जाँच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त राशियों, भवनों से सम्बन्धित राशियों तथा अन्य अनुदानों को भी छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया। अतः इन राशियों की गणना करके इन्हें सम्बन्धित खातो में जमा करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अन्य निधियों राशियों को छात्र कल्याण निधि में जमा न करवाकर इसका अलग से लेखा जोखा रखा जाये ताकि छात्र कल्याण निधि की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो।

**6 निवेशः–**

संस्थान द्वारा **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार दिनाँक 31.3.14 को विभिन्न निधियों से ₹1591577/– सावधि जमा के रूप में निवेशित की गई थी।

**7 सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की ₹172419/– को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–**

**परिशिष्ट "क"** पर वर्णित छात्र कल्याण निधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के अनुसार सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹172419/– का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया

गया। अतः ब्याज के रूप मे ंअर्जित ₹172419/– का रोकड़ बही में इन्द्राज करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

**8 सावधि जमा से सम्बन्धित राशि को अधिक ब्याज दर पर निवेशित न करने बारेः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin-1 F(A)1-68/91-v दिनाँक 17.4.14 के अनुसार अन्य बैकों की तुलना में अधिक ब्याज की दर मिलने की स्थिति में सरप्लस फंड की राशि को एच0पी0 स्टेट कापरेटिव बैंक/काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में निवेशित करना अपेक्षित था। अतः परामर्श दिया जाना है कि यदि संस्थान को सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि पर अन्य बैंकों की तुलना में हिमाचल प्रदेश को0ओपरेटिव बैंक/काँगड़ा बैंक से अधिक ब्याज मिलता है तो इन राशियों को एच0पी0 स्टेट कापरेटिव बैंक/काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए।

**9 भवन निधि से भुगतान की गई ₹511895/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–**

संस्थान द्वारा ₹250000/– का भुगतान चैक संख्या/ड्राफ्ट संख्या 986823 दिनाँक 24.2.09 द्वारा तथा ₹261895/– का भुगतान ड्राफ्ट संख्या 907744 दिनाँक 28.8.09 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता हिमुडा मण्डल धर्मशाला को आई0टी0आई0 भवन तथा छात्रावास भवन की मुरम्मत का कार्य करवाने हेतु किया गया। अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**10 छात्र कल्याण निधि से "Installation of LP Gas Plant in Mess of Girls Hostel Building" के कार्य हेतु भुगतान की गई ₹40719 से सम्बन्धित अनियमितताएंः–**

छात्र कल्याण निधि से बिल संख्या शून्य दिनाँक 02.02.10 के अन्तर्गत मैसर्ज अनिल गैस सर्विस धर्मशाला को "Installation of LP Gas Plant in Mess of girls Hostel Building" के कार्य हेतु ₹40719/– का भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

**(क)** कार्य को करवाने से पहले कार्य की अनुमानित लागत (Estimate) तैयार नहीं की गई और न ही कम्पनी की अधिकृत दर सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई। अतः इस कार्य को बिना प्राकलन (Estimate) तैयार किये करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम्पनी से अधिकृत दर सूची प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

**(ख)** उक्त कार्य केवल एक ही कोटेशन के आधार पर करवाया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाए कि यह कार्य न्यूनतम बाजार दरो पर करवाया गया व किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया।

**(ग)** उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः आवश्यक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में की जाये व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाये।

**11 छात्र कल्याण निधि से ₹30234/– का अनियमित व्यय करने बारेः–**

संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से किये गये व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नविवरणानुसार किया गया व्यय नियम EDN(TE)-A(3)-2/2004 दिनाँक 8.7.2010 अनुसार सम्बन्धित निधि पर वैध प्रभार नहीं है।

| फर्म का नाम | बिल नं0/दिनाँक | वा0सं0 | विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|
| मैसर्ज ठाकुर दास प्रदीप कुमार पालमपुर | 4841/18.1.11 | शून्य/1/11 | Tank 8 fitting material | 5004 |
| –यथोपरि– | 4838/18.1.11 | शून्य/1/11 | 2 Tank | 9400 |
| मैसर्ज गुज्जर मल संसार चन्द पालमपुर | – | शून्य/1/11 | 1 Cooker 5 Ltr for Hostel Use | 1315 |
| मैसर्ज रमेश इलैक्ट्रिकल गैस बैल्डिंग पालमपुर | 101/18.5.12 | 9/20.6.12 | Glass of Window | 7865 |
| –यथोपरि– | 102/19.5.12 | 10/20.6.12 | Putty | 2100 |
| मैसर्ज दिनेश सप्लाई पालमपुर | 102/19.6.12 | 11/20.6.12 | Labour of fitting of Glass | 4550 |
| | | | **योग** | **₹30234** |

अतः उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से सम्पूर्ण राशि को वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाये।

**12 विद्यार्थियों द्वारा "Tech. Festival" सुन्दरनगर में भाग लेने हेतु ₹11700/– का अनियमित व्यय करने बारेः–**

वाऊचर संख्या शून्य दिनाँक 04.01.11 के अन्तर्गत ₹11700/– का भुगतान संस्थान के 45 विद्यार्थियों द्वारा Tech. Festival सुन्दरनगर में भाग लेने हेतु की गई यात्रा के एवज में किया गया जोकि नियम EDN (TE) –A(3)-2/2004 दिनाँक 8.7.10 अनुसार इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से सम्पूर्ण राशि वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा की जाये। इसके अतिरिक्त संस्थान से 45 विद्यार्थियों द्वारा Tech. Festinal सुन्दरनगर में भाग लेने हेतु यात्रा प्राईवेट बस मै0 पटियाल बस सर्विस पालमपुर से की गई। अतः हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती दरो पर यात्रा न करके प्राईवेट बस में यात्रा करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

**13 छात्र कल्याण निधि से क्रय किए गए ₹16250/– के 25 Track Suits से सम्बन्धित अनियमितताएंः–**

छात्र कल्याण निधि से दिनाँक 3.3.13 को मै0 प्रजापति हौजरी उद्योग बिलासपुर को उनसे खरीदे गये 25 Track Suits हेतु ₹16250/– का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 150 पर पहले से ही 25 नं0 Track Suits मौजूद थे। इस प्रकार बिना आवश्यकता के और Track Suits को खरीदना एक अनावश्यक व्यय को परिलक्षित करता है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किये गये Track Suits की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः Track Suits की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाकर किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

**14 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारेः–**

संस्थान द्वारा अंकेक्षण के दौरान अग्रिम रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में अग्रिम कब–कब दिया गया तथा कितना–कितना अग्रिम दिया गया तथा किस–किस प्रयोजन पर कितना–कितना व्यय अग्रिम से किया तथा शेष कितनी राशि बची है, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

**15** **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

**16** **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः 11(2)(14)फिन(एल0ए0) खण्ड—2—7781—7784 दिनांक, 27.12.14 शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

**पंजीकृत** 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पालमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला—9 को भेजे।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

4 श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा....................

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.